न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–116 / 2021 दायर दिनांकः 05.08.2021

GCMS NO:- 2021/214

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. नरेन्द्र आ0 बाबूलाल जैन जाति महाजन निवासी नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

––प्रत्यार्थी

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

निर्णय दिनांक 11.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम खानपुरा पटवार मण्डल खानपुरा तहसील नैनवां में प्रार्थी एवं उसकी माता कमला, बहिन इन्द्रा, गुणमाला के कब्जे की जमीन खाता संख्या नई 163 की खसरा संख्या / रकबस 1112 / 0.0890, 1113 / 0.2103, 1133 / 0.1942, 1134 / 0.1861, 1135 / 0.2993, 1136 / 0.2427, 1137 / 0.1942, 1138 / 0.0728, 1139 / 0.5097, 1143 / 0.0566, 1144 / 0.2103 कुल किता 11 कुल रकबा 2.2652 हेक्टेयर भूमि स्थित है। जिसमें 1 / 2 हिस्से के खातेदार स्व0 बाबूलाल के उत्तराधिकारी तथा 1 / 2 हिस्से के स्व0 जयकुमार के उत्तराधिकारी है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी पर आने जाने के लिए रास्ता खसरा संख्या 1130 व 1132 जो सरकारी भूमि है पर होकर निकल रहा है। इस रास्ते को नक्शा परिशिष्ट क में लाल रंग से दर्शाया है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थी को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ खसरा संख्या 1130 व 1132 में होकर 30 फिट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट क ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण से जवाब / रिपोर्ट तलब किया गया। तहसीलदार नैनवॉ की रास्ते की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा सं. 1133 पर पहुंचने के लिए मुताबिक रिकॉर्ड कोई भी रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने के कारण प्रस्तावित रास्ता अनुसार खसरा संख्या 1130 व 1129 में से रास्ता दिया जाना उचित होगा। रास्ता में खसरा संख्या 1130 में से 29*2 गटठा, खसरा संख्या 1129 में से 9*2 गटठा भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 2135.46 वर्ग फिट भूमि उपयोग में आयेगी जिसे परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से अंकित किया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेजव रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट खानपुरा में पेश हुई । उपस्थित प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब / रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम खानपुरा पटवार मण्डल खानपुरा तहसील नैनवां में प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा सं. 1133 पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 1130 में से 29*2 गटठा, खसरा संख्या 1129 में से 9*2 गटठा भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 2135.46 वर्ग फिट, जिसे परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:45:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'अ' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 14:45:49 IST
Reason: SelfAttested